पत्र सं0-विधि-2022-23/ अपील निस्तारण/अपील माड्यूल //2223041 330 //राज्य कर ।

कार्यालय:-आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
(विधि अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 11 अगस्त, 2022

समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-1/ अपर आयुक्त ग्रेड-2(अपील)/
अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0),
राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे प्रान्तीय अधिनियम कहा गया है) अथवा एकीकृत वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे केन्द्रीय अधिनियम कहा गया है) के अन्तर्गत किसी व्यक्ति के विरुद्ध पारित आदेश से क्षुब्ध होने पर सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा प्रान्तीय अधिनियम की धारा-107 की उपधारा (1) के अन्तर्गत अपील दाखिल किये जाने का प्रावधान है। इस सम्बन्ध में समय-समय पर मुख्यालय के आदेश सं0-विधि-4(2) अपील फाइल की प्रक्रिया निर्धारण (जी0एस0टी0)/(17-18)/1054/वाणिज्य कर, दिनांक 24-11-2017, आदेश सं0-विधि-4(2) अपील फाइल की प्रक्रिया निर्धारण (जी0एस0टी0)/(17-18)/610/वाणिज्य कर, दिनांक 04-02-2019 एवं परिपत्र सं0-विधि/2022-23/कम्प्यूटर परि0सं0-2223015/131/राज्य कर, दिनांक 27-05-2022 जारी किए गए हैं, जिसके द्वारा ऐसी समस्त अपीलों को जी0एस0टी0एन0 द्वारा विकसित आनलाईन अपील माड्यूल के माध्यम से दाखिल किये जाने की प्रणाली प्रचलित की गई है। आनलाईन माध्यम से दाखिल APL-01 सम्बन्धित अपीलीय अधिकारी के लॉगिन पर भी प्रदर्शित होती है। मुख्यालय के संज्ञान में यह आया है कि कानपुर के एक प्रकरण में अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्धारित अपीलीय धनराशि जमा होने के उपरांत भी अन्यान्य तकनीकी त्रुटि के कारण अपील एडमिट नहीं की जा रही है, जिस कारण अपीलार्थियों को मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष रिट दाखिल करनी पड़ रही है। यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक है।

अत: एतद्द्वारा यह निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थियों द्वारा उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत दाखिल की जाने वाली अपीलों के आनलाईन एडमिशन में उक्तानुसार किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या उत्पन्न होने पर मुख्यालय के आई0टी0 अनुभाग से तत्काल सम्पर्क करते हुए उक्त का निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित करें एवं दाखिल अपीलों को नियमानुसार एडमिट करते हुए आनलाईन एडमिशन की कार्यवाही पूरी करें।

11/8/2022
(मिनिस्ती एस0)
आयुक्त,
राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।